

भाग III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।
(प्रकरण क्रमांक FP/MP/IRRIG/38634/2019)

1	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	कार्यपालन यंत्री पक्का बॉध सम्भाग क्रमांक 03 पो.आ. बाणसागर जिला शहडोल म.प्र. द्वारा बहुती नहर निर्माण हेतु वनमण्डल सीधी के वन परिक्षेत्र चुरहट के आरक्षित वनखण्ड गोविन्दगढ़ एक्सटेंशन के कक्ष क्रमांक आर. 1121 रकवा 1,400 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सीधी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत नहर निर्माण हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी वनमण्डल सीधी द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी नहर निर्माण हेतु 1,400 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 07.12.2021

स्थान: सीवा



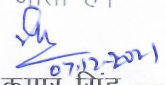
(आनन्द कुमार सिंह मा.व.से. 2001)
मुख्य वन संरक्षक
सीवा वृत्त सीवा (म.प्र.)

Recommendation of CCF (प्रकरण क्रमांक FP/MP/IRRIG/38634/2019)

सीधी जिले के वनमण्डल सीधी में बहुती नहर निर्माण में सीधी जिले के वन परिक्षेत्र चुरहट के आरक्षित वनखण्ड गोविन्दगढ़ एक्सटेंशन के कक्ष क्रमांक आर.. 1121 रकवा 1.400 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है।

वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सीधी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत कार्यपालन यंत्री पक्का बौध सम्भाग क्रमांक 03 पो.आ. बाणसागर जिला शहडोल (म.प्र.) को प्रस्तावित प्रयोजन के उपयोगार्थ वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सीधी द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी बहुती नहर निर्माण हेतु 1.400 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।


(आनन्द कुमार सिंह भा.व.से. 2001)
मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)